-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे शातिर अभियुक्त को थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के संग्रहण,बिक्री व निर्माण करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 16/17.04.2025 की रात्रि को थाना बिसण्डा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पुनाहुर में गेहूं के खेत में एक व्यक्ति है जिसके पास अवैध तमंचा है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना बिसण्डा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुन्ना यादव पुत्र बाबादीन यादव निवासी पुनाहुर थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 112/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री राजेश प्रसाद
2. कां0 राजू चौबे